

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री रामकिशोर सैनी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराजपुरा, नावां जिला नागौर का स्थानान्तरण राउमावि आखेड़ी, भवानी मण्डी जिला झालावाड़ किया गया था जिसके विरुद्ध श्री रामकिशोर सैनी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस. बी.सिविल याचिका संख्या 1556/2021 रामकिशोर सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 1556/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री रामकिशोर सैनी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

श्री रामकिशोर सैनी के 100 प्रतिशत दिव्यांग (दृष्टिबाधित) होने के मद्देनजर विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 को याचिकार्थी श्री रामकिशोर सैनी प्रधानाचार्य की हद तक एतद द्वारा निरस्त किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्री रामकिशोर सैनी राउमावि महाराजपुरा, नावां जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत् कार्यरत रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित प्रधानाचार्य श्री बंशीलाल बलाई का अन्तरिम समायोजन राउमावि गुलार (GULAR), परबतसर जिला नागौर (219558) में प्रधानाचार्य के पद किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन याचिका संख्या 1556/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यक्षीन रहेंगे।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/रामकिशोर/1556/2021 दिनांक: 01.02.2021  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/कोटा संभाग, अजमेर/कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर/झालावाड़।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर/झालावाड़।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)